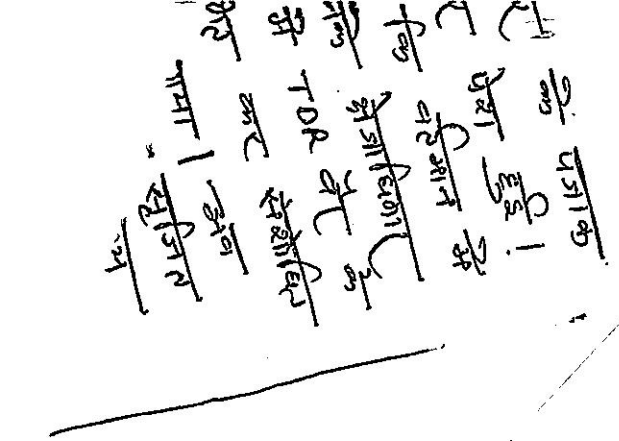

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

पत्रावली संख्याः 27/2018 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

किस्तूरी देवी पत्नी श्री रामपाल जाति जाटव निवासी ग्राम रामनगर तहसील वैर भुसावर जिला भरतपुर।

.........अपील

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर/भुसावर जिला भरतपुर।

..........रैस्पोडे

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 23.8.1988 तहसीलदा वैर बाबत नामान्तरकरण संख्या 717 आ0ख0नं0 53 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा वाकै ग्राम गौगेरा तहसील वैर जिला भरतपुर।

उपस्थित :

1. श्री विजयसिंह झारौटिया वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।

दिनांक : **2.5.2018**

निर्णय

यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार वैर की आज्ञा दिनांक 23.8.1988 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत ने अपने अपीलाधीन आदेश से मुताबिक बयनामा नामान्तरकरण संख्या 717 परवोदेवी एवं किस्तूरी देवी के स्वीकृत किया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। नियमानुसार उभयपक्षकारान को तलब किया जाकर बाद कार्यवाही नियत दिनांक को उभयपक्षकारान को सुना गया। वकील उभयपक्षों की बहस तर्कों पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। उनका कहना है कि विवादित सम्पत्ति परबोदेवी पत्नी हुकमी एवं किस्तूरी देवी पत्नी रामपाल जाति जाटव निवासी ग्राम रामनगर मजरा गौगेरा तहसील वैर जिला भरतपुर द्वारा दिनांक 8.1.1988 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय की गई थी और तत्समय ही कब्जा प्राप्त किया गया था। परन्तु अपीलाधीन नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 9 में केता किस्तरी देवी के पति

[illegible] की बजाय रामदयाल जाटव गलत दर्ज कर दिय है जो स्लिप [illegible] लिपिकीय भूल है जिसे दूरूस्त किया जाकर रामदयाल के स्थान पर [illegible] किया जाना न्यायोचित है। इसी नामान्तरकरण के आधार पर राजस्व [illegible] में भी किस्तूरी देवी के पति का नाम रामदयाल दर्ज कर दिया है जो [illegible] के अनुसार भी गलत है <u>वास्तव में किस्तूरी देवी के पति का नाम रामपाल है</u>। इसलिये अपीलाधीन नामान्तरकरण में किस्तूरी देवी के पति का नाम रामपाल अंकित किये जाने के आदेश दिये जावें। अपीलान्ट का देरी से अपील पेश करने के संबंध में यह कहना है कि इस गलत इन्द्राज की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 23.1.2018 को के0सी0सी0 फाइल बनवाने के दौरान हुई। उसी दिन पटवारी से नकल प्राप्त कर अपील की कार्यवाही की गई है। इसलिऐ जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। जिसके लिये पृथक से धारा –5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश किया गया है। इस संबध में आर.आर.डी. पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि:–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर0बी0जे0 (4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
" Liberal view should be Taken in Cononing The Dely in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित रहता है अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अपीलान्ट ने कोई हक हकूकी का बिन्दु न उठाया जाकर केवल अपीलाधीन नामान्तरकरण में अंकित किये गये किस्तूरी के पति का नाम रामदयाल के स्थान पर वास्तविक नाम रामपाल अंकित कर नामान्तरकरण को दुरूस्त किये जाने का बिन्दु उठाया है। चूंकि अपीलान्ट का कहना है कि <u>वास्तव में किस्तूरी के पति का नाम रामपाल है।</u> अपने कथनों की ताईद में अपीलान्ट द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में क्रमशः बयनामा दिनांक 8.1. 1988, परिवार राशनकार्ड, निर्वाचन फोटो पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड की छाया प्रतियां संलग्न की गई है। लेकिन अपीलाधीन नामान्तरकरण में किस्तूरी के पति का नाम रामदयाल अंकित कर दिया है जो दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर गलत प्रतीत होता है। जिसकी पुनः जांच कराया जाना हमारे ख्याल से न्यायसंगत रहता है। रजिस्टर्ड बयनामा को गौर किये बिना अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना प्रतीत हो रहा है जो न्याय संगत नही रहता है। यह माना कि नामान्तरकरण एक सरसरी प्रकिया है। फिर भी राजस्व रिकार्ड में आगामी इन्द्राज किये जाने मे यह अहम भूमिका निभाता है। इसलिऐ दौराने नामान्तरकरण स्वीकृति तहत अदालत के लिये विधिवत जांच वेहद आवश्यक हो जाती है। ऐसी स्थिति में यह प्रकरण पुनः अपीलान्ट किस्तूरी के पति के वास्तविक नाम जांच करने एवं

[redacted] नामान्तरकरण की कार्यवाही अमल लाये जाने हेतु रिमाण्ड किये जाने [redacted] रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण [redacted] जांच हेतु रिमाण्ड किया जाता है। तहत अदालत तहसीलदार वैर को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपीलान्ट किस्तूरी के पति के सही नाम की जांच कर अपीलाधीन नामान्तरकरण के संबध में पुनः न्यायसंगत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 2.5.2018 को सनाया गया।